

[2017] 10 एस. सी. आर. 50

व्यापार और कर आयुक्त व अन्य

बनाम

मेसर्स अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

(2017 की सिविल अपील सं 15605-15606)

4 अक्टूबर, 2017

■ रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा, जे. जे. ■

दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004: धारा 107-दिल्ली कर अनुपालन उपलब्धि योजना, 2013-खंड 8-शक्ति और नामित प्राधिकरण की अधिकारिता के तहत नोटिस जारी करना - तथ्य, निर्धारिती को अतिरिक्त आयुक्त द्वारा खंड 8 के तहत नोटिस जारी करना उत्तर में निर्धारिती द्वारा अतिरिक्त आयुक्त का अधिकार क्षेत्र के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई- हालांकि, निर्धारिती द्वारा रिट याचिका अतिरिक्त आयुक्त के कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने के लिए अधिकार क्षेत्र को चुनौती देती है यह कि नोटिस समय वर्जित था- रिट याचिका की अनुमति दी गई। अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: खंड 8 के तहत नोटिस जारी करने की शक्ति आयुक्त के पास निहित है और निर्दिष्ट प्राधिकरण में नहीं। -30 अप्रैल, 2014 के सरकारी आदेश को खंड 8 के तहत नामित प्राधिकरण को आयुक्त में निहित शक्तियों के प्रत्यायोजन का प्रयोग नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, अतिरिक्त आयुक्त नोटिस जारी करने के लिए सक्षम नहीं था। -हालांकि, निर्धारिती का आचरण रिट याचिका में

मुद्दा और जो पहले नहीं था, उठाने में प्रामाणिक नहीं था, इस प्रकार, अपनी गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-उच्च न्यायालय को नई कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने के लिए निर्देश जारी करने चाहिए थे, यदि राजस्व इतना बढ़ा हुआ था- उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा, त्रुटि को ठीक किया जाता है-राजस्व को खंड 8 के तहत निर्धारिती को एक नया नोटिस जारी करने में सक्षम बनाने के लिए निर्देश जारी करना, यदि वह चाहता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 किस श्रेणी के अधिकारी "निर्दिष्ट प्राधिकारी" में शामिल होंगे यह दिल्ली कर अनुपालन उपलब्धि योजना, **2013** के खंड **2 (सी)** में दर्शाया गया है। एक अधिकारी जो संयुक्त आयुक्त के पद से कम नहीं है, जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाये, योजना के तहत एक नामित प्राधिकारी होगा। योजना के खंड **4** में निर्दिष्ट प्राधिकारी को देय कर की घोषणा की आवश्यकता होती है और, उसके बाद, नामित प्राधिकरण को खंड **4** के विभिन्न उपखंडों द्वारा निर्धारित योजना के खंड **4 (7)** के तहत बकाया का निर्वहन, स्वीकृति जारी करने का अधिकार है। [पारस **12,13**] [60-ए-सी]

1.2 उक्त योजना के खंड 8 के तहत, आयुक्त निर्धारिती को नोटिस जारी करने के लिए लिखित रूप में दर्ज कारणों के लिए प्रयोग की जाने वाली शक्ति के साथ निहित है, जिसमें उसे निर्धारिती को इस बात का जारी करने की आवश्यकता होती है कि वो कारण दिखायें कि उन्हें योजना के प्रावधानों के अनुसार कर/बकाया का या कम भुगतान का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए। खंड 8 के अंतर्गत नोटिस जारी करने की शक्ति निस्संदेह आयुक्त में निहित ही निहित है न कि नामित प्राधिकरण में। निहित योजना के खंड 4 के तहत नामित प्राधिकरण में जो शक्ति है वह आवेदनों को सुनने और

निर्णय लेने और उचित संतुष्टि पर निर्वहन की स्वीकृति जारी करने की शक्ति है। आवेदनों को सुनने और निर्णय लेने की उक्त शक्ति में, किसी भी तरह से, किसी निर्धारित मामले को फिर से खोलने की शक्ति शामिल नहीं होगी जो कि खंड 8 निर्धारित है। दिनांक 30 अप्रैल, 2014 तारीख का सरकारी आदेश, जिस पर राजस्व ने खंड 8 के तहत शक्ति प्रत्यायोजन के रूप में भरोसा किया,, उसके एक सादे पठन पर, केवल एक विशेष क्षेत्र के लिये योजना के तहत दायर आवेदनों को सुनने और निर्णय लेने के लिए एक विशेष अतिरिक्त आयुक्त का सशक्तिकरण है (क्षेत्र में कई अतिरिक्त आयुक्त हो सकते हैं)। उक्त जी. ओ. दिनांकित 30.04.2014 को इसमें खंड 8 के तहत आयुक्त में निहित शक्तियों के नामित प्राधिकरण के लिए प्रत्यायोजन का प्रयोग नहीं माना जा सकता है। उक्त जी. ओ. में निहित सादा भाषा निष्कर्ष को बनाए रखने में सक्षम है। इस प्रकार, अतिरिक्त आयुक्त जिसने तत्काल मामले में खंड 8 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था, वह ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं था। और उस आधार पर – उक्त प्रश्न पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि की गई है। [पैरा 14] [60-सी जी]

1.3 तत्काल मामले में निर्धारिती को क्रमशः 18.02.2014 और 28.02.2014 को घोषणाएं जारी की गईं। खंड 8 के तहत कारण बताओ नोटिस 16.01.2015 पर जारी किया गया था। उत्तरदाता द्वारा 27.01.2015 पर जवाब प्रस्तुत किया गया था। निर्णय दिनांकित 11.02.2015 आदेश द्वारा पूरा किया गया था जिसके खिलाफ प्रतिवादी-निर्धारिती ने 4.03.2015 को उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। प्रत्यर्थी द्वारा दायर उत्तर में-[2017] 10 एस. सी. आर. का निर्धारिती। कारण दर्शाओ

नोटिस या उसके अनुसरण में कार्यवाही में, निर्धारिती द्वारा प्रश्रुगत नोटिस जारी करने के लिए अतिरिक्त आयुक्त की शक्ति और अधिकार क्षेत्र में कोई आपत्ति नहीं ली गई थी। इसलिए, उक्त मुद्दा न्यायनिर्णयन आदेश से संबंधित नहीं था। घोषणा की तारीख से एक साल की अवधि समाप्त होने के बाद ही रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें पहली बार अतिरिक्त आयुक्त के अधिकार क्षेत्र का सवाल उठाया गया था। यह इन तथ्यों में है कि उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा कि चूंकि खंड 8 (3) द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए नई कार्यवाही समय के साथ बाधित हो गई थी। [पैरा 16] [60 - एच; 61-ए-सी]

1.4 हालांकि यह सही है कि निर्धारिती द्वारा अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को उठाने में विफलता आवश्यक रूप से अतिरिक्त आयुक्त को अधिकारिता के साथ कपड़े नहीं पहनायेगी यदि यह कानून द्वारा विचार नहीं किया जाता है तो, मामले के कुछ पहलू हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि निर्धारिती ने अपने उत्तर में या निर्णय कार्यवाही के दौरान अधिकार क्षेत्र के लिए सवाल उठाया होता तो दोष को ठीक करने और एक वैध नोटिस जारी करने के लिए आयुक्त के पास अभी भी समय होता। एमनेस्टी योजना के तहत मामले सामान्य और नियमित रणभूमि के क्षेत्र से बाहर होंगे और, इस प्रकार, खंड 8 के तहत अधिकार क्षेत्र को लागू करने में अतिरिक्त आयुक्त की ओर से एक वास्तविक गलती को श्रेय देना संभव है। [पैरा 17] [61-डी-एफ]

1.5 एमनेस्टी योजना का खंड 8 (3) का लागू नहीं होगा, जहां प्रारंभिक कारण बताओ नोटिस समयांतर्गत जारी किया गया था और प्रतिवादी-निर्धारिती द्वारा इसकी

वैधानिकता नहीं ललकारी गई थी। यदि जवाब देने के लिए या यहां तक कि निर्णय की कार्यवाही के दौरान, उक्त वैधानिकता पर प्रश्न किया गया होता तो, जो त्रुटि जो हुई थी उसे ठीक करने के लिए राजस्व के पास अभी भी जगह/समय होता। 11.02.2015 पर निर्णय का आदेश पारित होने के बाद भी एक संशोधित सूचना जारी की जा सकती थी। निर्धारिती द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस (27.01.2015) के लिये प्रस्तुत उत्तर और एक ओर न्यायनिर्णयन की कार्यवाही और रिट याचिका दाखिल करने की तिथि के मध्य समय की निकटता यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति देगी कि रिट याचिकाओं में न कि पहले, इस मुद्दे को उठाने में निर्धारिती का आचरण, पूरी तरह से सही नहीं था। इसलिए, प्रत्यर्थी-निर्धारिती को अपनी गलती का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करने वाली न्यायालय असहाय नहीं समझे जा सकते हैं लेकिन निर्धारिती की राजस्व पर एक अयोग्य जीत स्वीकार कर लेते हैं। यदि राजस्व इतना इच्छुक था तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति, जो कि विस्तृत और व्यापक है, उसे उच्च न्यायालय को नई कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने वाले परिणामी निर्देश देने की स्थिति और मुद्दे से उचित रूप से निपटने में सक्षम बनाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा है, अतः त्रुटि को ठीक किया जाता है और राजस्व को एमनेस्टी योजना के खंड 8 के तहत ताजा नोटिस जारी करने के लिये सक्षम करने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं यदि वह ऐसा चाहता है और ऐसी सलाह दी जाती है। [पैरा 19] [64-डी-एच; 65-ए]

ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, कलकत्ता
और अन्य (1980) 2 एससीसी 191: [1980] 2 एससीआर 765

मामला कानून संदर्भ [1980] 2 एससीआर 765 पैरा 18 संदर्भित किया गया है

।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 15605
-15606/2017

डब्ल्यू. पी. (ग) 2015 का सं. 2536 और डब्ल्यू. पी. (ग) 2015 की सं. 3909 में
दिल्ली उच्च न्यायालय के 28.04.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 15607 और 15608/2017

मनिंदर सिंह, एएसजी, जयंत मोहन, विजय प्रकाश, रजत नायर, बी. वी.
बलराम दास, बी. कृष्ण प्रसाद - अधिवक्ता अपीलार्थियों के लिए।

एस. गणेश, वरिष्ठ अधिवक्ता, एस. के. सरवाल, सुमित बत्रा, मोहिंदर जीत सिंह
- अधिवक्ता उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

रंजन गोगोई, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. विशेष याचिकाओं से उत्पन्न सिविल अपीलों के तथ्यों का पठन अकेले 2017
की अनुमति याचिका (सिविल) Nos.9631-9632 को अन्य संबंधित कार्यवाही में तथ्यों
के रूप में बनाया जा रहा है [अर्थात् विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं

10485/2017 और 9633/2017 से उत्पन्न होने वाली सिविल अपीलें] काफी हद तक समान हैं।

3. राजस्व द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने दिल्ली कर अनुपालन उपलब्धि योजना, 2013 (इसके बाद जिसे "एमनेस्टी योजना" के रूप में संदर्भित किया जाता है), के तहत उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका मेप्रत्यर्थी रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदनों को नामित प्राधिकरण अर्थात् आयकर के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा जारी आदेशों द्वारा अस्वीकार करने वाले निर्धारक को दी चुनौती को अनुमति दी है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

4. दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 107 के तहत (इसके बाद "डी. वी. ए. टी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संक्षेप में "जी. एन. सी. टी. डी.") को 1 अप्रैल, 2013 से पहले समाप्त होने वाली किसी भी अवधि से संबंधित डी. वी. ए. टी. अधिनियम के तहत कर, ब्याज, जुर्माना या किसी अन्य बकाया के भुगतान को शामिल करते हुए माफी योजना (योजनाओं) को अधिसूचित करने का अधिकार है।

5. डी. वी. ए. टी. अधिनियम की धारा 107 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एमनेस्टी योजना को जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा 20 सितंबर, 2013 एमनेस्टी योजना को अधिसूचित किया गया था। एमनेस्टी योजना का खंड 2 (सी) जो 'निर्दिष्ट प्राधिकरण' को परिभाषित करता है ; खंड 4 जो घोषणा करने की प्रक्रिया कर और देय

राशि का भुगतान का वर्णन करता है; खंड 5 जो ब्याज, जुर्माना और अन्य कार्यवाहियों से प्रतिरक्षा से संबंधित है; और खंड 8 के प्रावधान जो सही घोषणा करने में विफलता की स्थिति में न्यायालय के विचार की आवश्यकता से संबंधित हैं, इसलिए, सुविधा के लिए उन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है;

"2(सी) 'निर्दिष्ट प्राधिकरण ' अर्थात् संयुक्त आयुक्त पद के समतुल्य अधिकारी जिन्हें इस योजना के उद्देश्यों के लिए आयुक्त मूल्य वर्धित कर द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

*** **** ***

4. कर देय राशि की घोषणा और भुगतान करने की प्रक्रिया -

(1) इस योजना के अन्य प्रावधानों के अधीन, एक व्यक्ति निर्दिष्ट प्राधिकारी को 31 जनवरी 2014 या उससे पूर्व से पहले इस अधिसूचना के लिए संलग्न फॉर्म डी. एस. सी.-1 में देय कर राशि की घोषणा सकता है।

(2) नामित प्राधिकारी इस अधिसूचना के साथ संलग्न प्रपत्र डी. एस. सी.-2 में घोषणा प्राप्ति की तारीख से पंद्रह कार्य दिवसों की अवधि के अंतर्गत घोषणा की प्राप्ति को स्वीकार करेगा।

(3) घोषणाकर्ता घोषणा के साथ उपखंड (1) के तहत घोषित बकाया कर का कम से कम पचास प्रतिशत का भुगतान करेगा और निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(4) कर बकाया की शेष राशि या उसके कुछ हिस्से का उपखंड (3) के तहत किए गए भुगतान को समायोजित करने के बाद घोषणाकर्ता द्वारा 21 मार्च, 2014 को या उससे पहले भुगतान किया जाएगा।

(5) उपखंड (3) और उपखंड (4) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी कर जो घोषणा करने वाले द्वारा 1 अप्रैल 2013 से शुरू होने वाली कर अवधि (अवधि) के लिए देय या भुगतान योग्य हो जाता है, और उसके बाद उसके द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां इस खंड के उपखंड (1) में निर्दिष्ट संदर्भानुसार एक अपंजीकृत विक्रेता ने घोषणा की हो, ऐसा विक्रेता पंजीकरण प्राप्त करेगा और 1 अप्रैल, 2013 से पंजीकरण की तारीख तक दिन की अवधि के लिए शुद्ध कर का भुगतान करेगा और इस योजना के तहत घोषणा प्रस्तुत करते समय नामित प्राधिकारी को फॉर्म डी. वी. ए. टी.- 20 में भुगतान के प्रमाण के साथ उस अवधि के लिए फॉर्म डी. वी. ए. टी.-16 में विवरणी प्रस्तुत करेगा। ऐसा विक्रेता अधिनियम के तहत ऐसा कर और विवरणी दाखिल न करने पर देरी से भुगतान के लिए योजना के खंड 5 के तहत प्रतिरक्षा के लिए पात्र होगा।

(6) घोषणाकर्ता निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस योजना के तहत समय-समय पर किए गए भुगतान के साथ-साथ उपखंड (2) के तहत उसे जारी की गई पावती की एक प्रति विवरण प्रस्तुत करेगा।

(7) उपखंड (4) के तहत देय घोषित कर बकाया के पूर्ण भुगतान का विवरण प्रस्तुत करने पर, नामित प्राधिकारी घोषणाकर्ता को पंद्रह दिन के भीतर इस अधिसूचना के साथ संलग्न फॉर्म डी. एस. सी.-3 में ऐसे बकाया के निर्वहन की स्वीकृति जारी करेगा।

(8) एक व्यापारी जिसने पंजीकरण नहीं लिया है, वह खंड 4 के उपखंड (1) में निर्दिष्ट घोषणा दाखिल करने से पहले पंजीकरण प्राप्त करेगा। इसी तरह, एक व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 36 ए के तहत कर कटौती करने के लिए जिम्मेदार है तो कटौती खाता संख्या (टी. ए. एन.) प्राप्त करेगा यदि उसने पहले से प्राप्त नहीं किया गया है।

*** ***** ***

5. ब्याज, दंड और अन्य कार्यवाहियों से उन्मुक्ति - (1) योजना के किसी भी प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, घोषणाकर्ता को, घोषित कर के बकाया भुगतान करने पर, खंड 3 के उपखंड (2) और (4) के संदर्भ में देय ब्याज के अलावा अन्य ब्याज, अभियोजन या अधिनियम या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 या पूर्ववर्ती दिल्ली बिक्री कर अधिनियम 1975 (1975 का 43) या कार्य अनुबंध पर

दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1999 (1999 का दिल्ली अधिनियम 9) या वस्तु प्रयोग अधिकार पर दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 2002 (2002 का दिल्ली अधिनियम 13) या स्थानीय क्षेत्र में मोटर वाहन के प्रवेश पर दिल्ली कर अधिनियम 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम 4) के अंतर्गत दंड या दंड, से उन्मुक्ति प्राप्त होगी।

स्पष्टीकरण- इस उपखंड के प्रयोजन के लिए, "घोषणाकर्ता" शब्द में शामिल होंगे:

(i) एक संविदाकारी होने के संबंध में, जिसने अधिनियम की धारा 36 ए (1) के तहत कार्य अनुबंध प्रदान किया है, उसका तत्काल ठेकेदार जिसे उसने कार्य अनुबंध प्रदान किया है, तो उसके तत्काल ठेकेदार को भी उस हद तक छूट मिलेगी।

(ii) एक ठेकेदार होने के संबंध में, जिसने अधिनियम की धारा 36 ए (1) के तहत कार्य अनुबंध प्राप्त किया है, उसका तत्काल संविदाकारी जिससे उसने कार्य अनुबंध प्राप्त किया है।

स्पष्टीकरण- संदेह को दूर करने के उद्देश्य से, दोहरे कराधान से बचने हेतु, यदि संविदाकारी ने कर बकाया घोषित कर दिया है, तो उसके तत्काल ठेकेदार को भी उस हद तक छूट मिलेगी और इसके विपरीत भी।

(2) खंड 8 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, खंड 4 के उपखंड (1) के तहत की गई घोषणा खंड 4 के उपखंड (7) के तहत निर्वहन की स्वीकृति जारी करने पर निर्णायक हो जाएगी - और इसके बाद घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा करने पर इस योजना के तहत या अधिनियम के तहत कवर की गई अवधि से संबंधित किसी भी प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही में उस कर की सीमा तक किसी भी मामले को फिर से नहीं खोला जाएगा/पुनर्मूल्यांकन/समीक्षा नहीं की जाएगी।

(3) योजना का विकल्प चुनने के बाद अर्ध-न्यायिक मंचों के समक्ष न्यायाधिकरण के स्तर तक के लंबित सभी वैधानिक अपीलों/संशोधनों को वापिस ले लिया गया माना जाएगा। इसके अलावा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लंबित सभी मामलों को घोषणाकर्ता द्वारा वापस ले लिया जाएगा और उसे अदालत के सामने मामले को वापस लेने की घोषणा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) एक पंजीकरण सुरक्षित होने के 48 घंटों के भीतर कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी, बशर्ते, पंजीकरणकर्ता योजना के तहत टीआईएन/टीएएन के लिए आवेदन करते समय चुनने के अपने इरादे की घोषणा करता है।

(5) योजना के तहत एक घोषणा के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा और इसके योजना के तहत के अलावा उपयोग नहीं किया जाएगा और उसे किसी अन्य व्यक्ति /सरकारी विभाग/एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

***** *** *****

8. सही घोषणा करने में विफलता -

(1) योजना के खंड 5 में किसी भी बात के निहित होने के बावजूद, जहां आयुक्त के पास 1 अप्रैल, 2009 से शुरू होने वाली अवधि के लिए, विश्वास करने के कारण हैं कि घोषणा भौतिक विवरणों में गलत थी, वह, लिखित कारणों के आधार पर, घोषणाकर्ता को नोटिस जारी कर सकता है जिसमें उसे कारण दिखाने की आवश्यकता होती है कि उसे इस योजना के प्रावधानों के अनुसार उसे बकाया कर अथवा कम भुगतान किये गये कर का भुगतान करने की आवश्यकता क्यों नहीं होनी चाहिए।

(2) यदि लिखित कारणों के आधार पर आयुक्त संतुष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा की गई घोषणा भौतिक रूप गलत थी तो-

(i) वह अधिनियम की धारा 32 और 33 के अंतर्गत उपखंड (1) के अधीन कर और जुर्माने का निर्धारण यह मान करेगा कि जैसे कि उस विक्रेता ने इस योजना के तहत कभी घोषणा नहीं की थी। । हालांकि,

इस योजना के तहत उसके द्वारा भुगतान किए गए कर का क्रेडिट प्राप्त करना विक्रेता का अधिकार होगा, और

(ii) ऐसे विक्रेता पर अधिनियम की धारा 89 की उप-धारा (2) के तहत झूठी घोषणा प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

(3) इस खंड के उपखंड (1) के तहत घोषणा की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।"

6. पक्षकारों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी-निर्धारिती द्वारा दायर घोषणा के आधार पर, नामित प्राधिकरण ने प्रत्यर्थी-निर्धारिती के पक्ष में "निर्वहन की स्वीकृति" जारी की। में मुकदमा दायर किया। हालाँकि, 16 जनवरी, 2015 को एमनेस्टी योजना के खंड 8 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) व्यापार और कर, नई दिल्ली द्वारा एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने 27 जनवरी, 2015 को अपना जवाब प्रस्तुत किया। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए उत्तर में, प्रत्यर्थी-निर्धारिती ने अतिरिक्त आयुक्त के द्वारा खंड 8 के तहत जारी किये नोटिस के क्षेत्राधिकार के सम्बंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया था।था दिनांक 11 फरवरी, 2015 के आदेश के में न्यायनिर्णय पूर्ण कर किया गया था जिसे निर्धारिती को प्रेषित कर दिया गया था। उसके बाद निर्धारिती ने अन्य बातों के साथ कहते हुए उच्च न्यायालय के सामने रिट याचिकायें दायर कीं कि कारण बताओ नोटिस दिनांकित 16 जनवरी, 2015 अनाधिकृत और क्षेत्राधिकार के बाहर था जैसा कि खंड 8 के तहत नोटिस जारी करने की शक्ति आयुक्त के पास है और वह

विनिर्दिष्ट प्राधिकरण अर्थात् सम्बंधित अतिरिक्त आयुक्त को प्रत्यायोजित नहीं की गई है। उक्त कथन को उच्च न्यायालय का साथ मिल गया। तदनुसार, प्रत्यर्थी-निर्धारितियों द्वारा दायर याचिकायें स्वीकार कर ली गईं और विवादित प्रक्रिया में दखल दे दिया गया। उच्च न्यायालय ने यह भी विचार व्यक्त किया कि एमनेस्टी योजना के खंड 8 (3) के तहत घोषणा की तारीख के एक साल के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जो वर्तमान मामले में क्रमशः 18 फरवरी, 2014 और 28 फरवरी, 2014 को जारी किया गया था। आगे/नया कारण दिखाएँ नोटिस का समय रोक दिया गया था। पीड़ित राजस्व इस न्यायालय के समक्ष अपील में है।

7. राजस्व की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल श्री मनिंदर सिंह ने जोरदार तर्क दिया है कि सरकारी आदेश दिनांकित 30 अप्रैल, 2014 एमनेस्टी योजना के खंड 8 के तहत आयुक्त द्वारा नामित प्राधिकरण को शक्ति का स्पष्ट प्रत्यायोजन प्रदान करता है। विद्वान ए. एस. जी. के अनुसार, योजना के तहत प्राप्त आवेदन के निपटारे की शक्ति में अनिवार्य रूप से एक उपयुक्त मामले में खंड 8 के तहत कारण बताएँ नोटिस जारी करने के बाद मामले को अंतिम रूप देने की शक्ति शामिल होनी चाहिए। विद्वान ए. एस. जी. ने आगे आग्रह किया है कि खंड 4 के तहत घोषणाओं पर नामित प्राधिकरण यानी अतिरिक्त आयुक्त द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। यह स्वाभाविक है कि गलत/दबाए गए तथ्यों पर समाप्त मामलों को फिर से खोलने की शक्ति को हर समय नामित प्राधिकरण के लिए उपलब्ध समझा जाना चाहिए।

8. उत्तरदाता-निर्धारितियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ विद्वान वकील श्री एस. गणेश ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया है जिन्होंने आग्रह किया है कि निम्नलिखित निर्णयों की अंतिमता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एमनेस्टी स्कीम, व्यापार और कर आयोग द्वारा निष्कर्षित मामलों को फिर से खोलने की शक्ति कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने के लिए एक उच्च प्राधिकारी यानी आयुक्त को प्रदान ई गई है। उक्त शक्ति को दायर किए गए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए शक्ति से अलग करना होगा, जो खंड 4 के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी में निहित है। यह आग्रह किया जाता है कि वर्तमान मामले में आयुक्तएन निहित शक्ति को खंड 8 के तहत को किसी अन्य प्राधिकरण को प्रत्यायोजित नहीं किया गया है, जिसके अभाव में, अतिरिक्त आयुक्त के लिए 16 जनवरी, 2015 का विवादित कारण बताओ नोटिस जारी करना खुला नहीं था। यह तथ्य कि निर्धारिती ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष अधिकार क्षेत्र का मुद्दा नहीं उठाया, अतिरिक्त आयुक्त को कारण बताने का अधिकार क्षेत्र नहीं देगा।जैसा कि उक्त मुद्दा मुख्य रूप से कानून का सवाल है जो इस मामले की जड़ तक जाता है और उच्च न्यायालय समक्ष हमेशा सवाल उठाया जा सकता है।वही सवाल उठाये जाने और उच्च न्यायालय द्वारा जवाब दिये जाने से, इस न्यायालय द्वारा दिए गए उत्तर पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है और केवल इस आधार पर पूर्वनिर्धारित नहीं किया जाना चाहिए कि उत्तरदाताओं-निर्धारकों ने कारण दिखाएँ नोटिस के निर्णय के दौरान इसे नहीं उठाया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने एमनेस्टी योजना के खंड 8 (3) के प्रावधानों को यह कहने के लिये संदर्भित किया है कि घोषणा/घोषणाओं की तारीख के एक साल के भीतर खंड 8 के तहत कारण बताएँ

नोटिस जारी किया जाना चाहिए और इसके लिए खंड 8 (3) द्वारा निर्धारित समय में हुई किसी भी देरी या विस्तार को बढ़ाने या क्षमा करने के लिये कोई सक्षम प्रावधान नहीं है। चूंकि घोषणा की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है, इस स्थिति में इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना है कि आक्षेपित कारणदर्शक नोटिस उस प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया था, जिसके पास शक्ति और अधिकार नहीं थे अतः किसी भी नए/संशोधित नोटिस को जारी करने का सवाल उठता है।

9. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर, वर्तमान अपील में विचार के लिए दो मुद्दे उठते हैं।

10. पहला एमनेस्टी योजना के खंड 8 के तहत नोटिस जारी करने का अधिकार नामित की शक्ति और अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। संबंधित, यह है कि क्या, वर्तमान मामले में, उक्त शक्ति जो उपरोक्त खंड 8 के तहत आयुक्त में निहित है, का कोई प्रत्यायोजन हुआ है।

11. उत्पन्न होने वाला दूसरा मुद्दा पहले के उत्तर पर निर्भर करेगा, अर्थात्, यदि यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि नामित प्राधिकरण खंड 8 के तहत कार्य करने के लिए सशक्त नहीं है, तो क्या योजना के उपरोक्त खंड के तहत एक नया नोटिस अभी भी सक्षम प्राधिकारी अर्थात् आयुक्त या आयुक्त के प्रतिनिधि द्वारा जारी किया जा सकता है।

12. "निर्दिष्ट प्राधिकारी" अभिव्यक्ति के भीतर किस श्रेणी के अधिकारी आएंगे, यह एमनेस्टी योजना के खंड 2 (सी) में निहित परिभाषा द्वारा विचार किया गया है।

इस योजना के तहत वह अधिकारी जो संयुक्त आयुक्त के पद से नीचे का न हो, जो कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया सकता है, एक नामित प्राधिकारी होगा।

13. योजना के खंड 4 में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत देय कर की घोषणा किये जाने की आवश्यकता है और, उसके बाद खंड 4 के विभिन्न उपखंडों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, नामित प्राधिकरण को योजना के खंड 4 (7) के तहत बकाया के निर्वहन की स्वीकृति जारी करने का अधिकार है।

14. उपरोक्त योजना के खंड 8 के तहत, आयुक्त निर्धारिती को नोटिस जारी करने के लिए कि वह कारण बताए कि उसे निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार कर/बकाया का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए, लिखित में अभिलिखित कारणों के लिए प्रयोग की जाने वाली शक्ति के साथ निहित है। खंड 8 के तहत नोटिस जारी करने की शक्ति निस्संदेह आयुक्त के पास निहित है न कि नामित प्राधिकरण के पास है। योजना के खंड 4 के तहत नामित प्राधिकरण में जो शक्ति निहित है वह आवेदनों को सुनने और निर्णय लेने और उचित संतुष्टि पर निर्वहन की स्वीकृति जारी करने की शक्ति है। आवेदनों को सुनने और तय करने की उक्त शक्ति, किसी भी तरह से, किसी निर्धारित मामले को फिर से खोलने की शक्ति शामिल नहीं होगी जिस पर खंड 8 विशेष रूप से विचार करता है। 30 अप्रैल, 2014 के सरकारी आदेश, जिस पर राजस्व विभाग ने खंड 8 के तहत शक्ति के एक प्रत्यायोजन के रूप में भरोसा किया, उसके एक सादे पठन पर, केवल विशेष क्षेत्र (एक क्षेत्र में कई अतिरिक्त आयुक्त हो सकते हैं) के एक विशेष अतिरिक्त आयुक्त का योजना के तहत दायर आवेदनों को सुनने और उन पर निर्णय लेने

के लिए सशक्तिकरण है। उक्त सरकारी आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को खंड 8 के तहत आयुक्त में निहित शक्तियों के प्राधिकरण निहित में प्रत्यायोजन का प्रयोग नहीं माना जा सकता है। उक्त जी. ओ. में निहित सादा भाषा उपरोक्त निष्कर्ष को बनाए रखने में सक्षम है। इसलिए, हमें यह अभिनिर्धारित करना होगा कि अतिरिक्त आयुक्त जिन्होंने इसके तहत कारणदर्शक नोटिस जारी किया था वर्तमान मामले में खंड 8 ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं था और उस आधार पर हम उक्त प्रश्न पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

15. यह हमें मामले में उत्पन्न होने वाले दूसरे मुद्दे पर विचार करने के लिए लाएगा, जिसका विवरण वर्तमान आदेश के पहले अनुच्छेद में ही उल्लेख किया जा चुका है।

16. वर्तमान मामले में निर्धारिती को क्रमशः 18 फरवरी, 2014 और 28 फरवरी, 2014 को घोषणाएं जारी की गई थीं। खंड 8 के तहत कारण बताएँ नोटिस 16 जनवरी, 2015 को जारी किया गया था। उत्तरदाता-निर्धारिती द्वारा 27 जनवरी, 2015 को उत्तर प्रस्तुत किया गया था निर्णय 11 फरवरी, 2015 के आदेश द्वारा पूरा किया गया था, जिसके खिलाफ प्रतिवादी-निर्धारिती ने 4 मार्च, 2015 को उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। प्रतिवादी निर्धारिती द्वारा कारण दर्शाओ नोटिस या उसके अनुसार कार्यवाही में दायर किए गए जवाब में, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, निर्धारिती को प्रश्नगत नोटिस जारी करने के लिए अतिरिक्त आयुक्त की शक्ति और अधिकार क्षेत्र में कोई आपत्ति नहीं ली गई थी। अतः

न्यायनिर्णयन आदेश में उक्त पर विचार नहीं किया गया। घोषणा की तारीख से एक साल की अवधि समाप्त होने के बाद ही रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें पहली बार अतिरिक्त आयुक्त के अधिकार क्षेत्र का सवाल उठाया गया था। यह इन तथ्यों में है कि उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा कि चूंकि खंड 8 (3) द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त हो गई थी, इसलिए नई कार्यवाही समय के साथ बाधित हो गई थी।

17. हालांकि यह सही है कि निर्धारिती द्वारा अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को उठाने में विफलता आवश्यक रूप से अतिरिक्त आयुक्त को अधिकारिता के कपड़े नहीं पहनायेगी यदि कानून द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाता है, तो मामले के कुछ पहलू हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि निर्धारिती ने अपने उत्तर में या उसके वहाँ न्यायनिर्णयन कार्यवाही के दौरान अधिकारिता का प्रश्न उठाया होता तो आयुक्त के पास दोष को ठीक करने और एक वैध नोटिस जारी करने के लिए अभी भी समय होता। एमनेस्टी योजना के तहत मामले सामान्य और नियमित मामलों के क्षेत्र से बाहर होंगे और इसलिए, एमनेस्टी योजना के खंड 8 के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने में अतिरिक्त आयुक्त की ओर से एक वास्तविक गलती को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। न्यायालय के समक्ष जो सवाल बड़ा है वह यह है कि क्या ऐसी स्थिति में निर्धारिती को सीमा का सवाल उठाने और उस आधार पर मामले में नए सिरे से आगे बढ़ने के राजस्व के दावे को विफल करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

18. कुछ इसी तरह की स्थिति से निपटते हुए जो इस न्यायालय के समक्ष ग्रिंडलेज़ बैंक लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, कलकत्ता और अन्य में उत्पन्न हुई थी। यह रिपोर्ट के पैरा 7 में इस तरीके से निम्नलिखित रूप में देखा गया था:

"7. अगला मुद्दा यह है कि क्या उच्च न्यायालय के पास नए मूल्यांकन का निर्देश देने वाला आदेश देने की कोई शक्ति है। रिट याचिका में मांगी गई प्रमुख राहत आयकर अधिनियम की धारा 142 (1) के तहत नोटिस को रद्द करना था जैसा कि 31 मार्च, 1977 का निर्धारण आदेश कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उस सूचना का कथित अनुपालन न करने पर, मूल्यांकन आदेश को रद्द करना भी आवश्यक हो गया। एक मूल्यांकन कार्यवाही का स्वरूप, जिसका हिस्सा आक्षेपित सूचना और मूल्यांकन आदेश बना, अर्ध-न्यायिक होने के कारण अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्राधीन "उत्प्रेक्षण" को आकर्षित किया। सामान्यतया, जहाँ उच्च न्यायालय ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करता है वहाँ केवल उल्लंघनकारी आदेश को रद्द कर देता है और परिणामी कानूनी प्रभाव यह है कि उल्लंघनकारी आदेश के लिए एक नए आदेश द्वारा नए सिरे से विचार और निपटान की आवश्यकता के साथ निचली अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही का शेष हिस्सा स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाता है। आम तौर पर, उच्च न्यायालय अपने द्वारा निरस्त आदेश के लिए अपने स्वयं के आदेश को

प्रतिस्थापित नहीं करता है। यह निश्चित रूप से एक भिन्न मामला है जहाँ उच्च न्यायालय का न्यायनिर्णयन निचली अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही को लेने या अंततः सुनने के लिये पूर्ण क्षेत्राधिकार की आवश्यकता की स्थापना करता है। उस स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही को रद्द करने के बाद पुनर्जीवितता नहीं होती है। परंतु यद्यपि पूर्ववर्तीप्रकार के मामले में उच्च न्यायालय, अपमानजनक आदेश को रद्द करने के बाद, अपने स्वयं के आदेश को प्रतिस्थापित नहीं करता है जबकि इसके पास अपने स्वयं के आदेश के बावजूद ऐसे आगे के आदेश पारित करने की शक्ति है जिसकी मामले के न्याय के लिए आवश्यकता है। इस तरह के आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय दोनों पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए ऐसे सभी आदेश देने की अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करता है जो आवश्यक हैं। न्याय के हितों के लिए यह आवश्यक है कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने वाले किसी पक्ष द्वारा प्राप्त किसी भी अयोग्य या अनुचित लाभ को, केवल इस परिस्थिति में कि उसने न्यायालय में कार्यवाही शुरू की है, बेअसर किया जाना चाहिए। मुकदमेबाजी की स्थापना के सरल तथ्य को स्वयं इसके लिए जिम्मेदार पक्ष को लाभ प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वर्तमान में मामला आगे बढ़ता है। अपीलार्थी ने लिनिटेशन बार का लाभ नहीं लिया होगा यदि, आयकर अधिनियम की धारा

142 (1) के तहत नोटिस के खिलाफ उनकी तत्काल शिकायत के बावजूद, उन्होंने मूल्यांकन की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी थी, उनके द्वारा आयकर अधिकारी के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराने के बाद, और सामान्य पाठ्यक्रम में मूल्यांकन आदेश के जारी रहने की अनुमति दी गई। मूल्यांकन आदेश के खिलाफ धारा 146 के तहत एक आवेदन में, उनके लिए यह आग्रह करना खुला होता कि नोटिस अनुचित और अमान्य था और उन्हें के पर्याप्त कारण द्वारा इसके अनुपालन से रोका गया था और इसलिए मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उस घटना में, धारा 146 के तहत किया गया नया मूल्यांकन सीमा की बाधकता से बंधा नहीं होता। धारा 153 (3) (1) बाधा को हटा देती है। लेकिन अपीलार्थी ने अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की संवैधानिक अधिकारिता को पसंद किया। यदि नया मूल्यांकन का आदेश देने के लिये उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया था तो, वह बता सकता जैसा कि हमारे समक्ष बताया गया है कि एक नवीन मूल्यांकन की कार्यवाही समय सीमा द्वारा बाधित है। यह एक लाभ है जिसे अपीलार्थी अपनी केवल एक रिट याचिका दायर करने की परिस्थिति द्वारा उत्पन्न होने की आज्ञा चाहता है। यह ध्यान दिया जाएगा कि नोटिस में अपीलार्थी द्वारा की गई दोष की शिकायत मूल रूप से एक प्रक्रियात्मक चूक थी जिसे एक उचित नोटिस देकर आसानी से ठीक किया जा सकता था। यह

आयकर अधिकारी के मूल्यांकन करने के मौलिक अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाला कोई दोष नहीं था। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने उस दिशा को बनाने में जो किया स्पष्ट रूप से सही था। आयकर निरीक्षण निदेशक (जांच) नई दिल्ली बनाम. पूरन मॉल एंड संस में इस न्यायालय की टिप्पणियां प्रासंगिक हैं। इसमें कहा गया है:

न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी मामले के तथ्यों के अनुरूप उपचार को ढालना होता है। यदि किसी विशेष मामले में कोई अदालत यह विचार रखती है कि आयकर अधिकारी ने धारा 132 (5) के तहत आदेश पारित करते समय संबंधित पक्ष को पर्याप्त अवसर नहीं दिया है, तो उसमें केवल इसे रद्द करने और पार्टी को एक लाभ पर रखने का एकमात्र विकल्प नहीं छोड़ा जाना चाहिए भले ही यह संतुष्ट हो कि उसके सामने सामग्री के आधार पर आयकर अधिकारी द्वारा निकाला निष्कर्ष सही था या याचिका को खारिज करने का विकल्प न हो क्योंकि दूसरे पक्ष को अनुचित लाभ मिलेगा। अनुच्छेद 226 के तहत किसी आदेश को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग केवल तब नहीं किया जा सकता है जब रद्द करने का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना किया गया हो, जिस मामले में उसी प्राधिकरण को इससे निपटने के लिए निर्देशित करने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। लेकिन किसी मामले की परिस्थितियों में अदालत यह विचार कर सकती है कि किसी अन्य

प्राधिकारी के पास मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र है और वह उस प्राधिकारी को इससे निपटने का निर्देश दे सकता है या जहां प्राधिकरण का आदेश जिसके पास अधिकार क्षेत्र है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफलता जैसी परिस्थितियों से दूषित है तो न्यायालय आदेश को रद्द कर सकता है और पीड़ित पक्ष को उसका मामला आगे रखने का एक उचित अवसर प्रदान करने के बाद प्राधिकरण को मामले को नए सिरे से निपटाने का निर्देश दे सकता है। अन्यथा, इसका मतलब यह होगा कि जहां एक अदालत एक आदेश रद्द कर देती है क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है, इसे आदेश को पारित करते समय न्यायाधिकरण या प्राधिकरण को उस मामले से फिर से निपटने की अनुमति नहीं देनी चाहिए मामले के गुण चाहे जो भी हो।

इस मुद्दे पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कछार प्लाईवुड लिमिटेड बनाम आई. टी. ओ. में विचार किया था और उच्च न्यायालय ने, आयकर अधिनियम की धारा 153 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, रिट याचिका का बयान देते समय, करने के लिए एक निर्देश जारी करना, लेकिन उच्च न्यायालय के निर्देश के लिए, जो सीमा से वर्जित किया गया होगा, विचार करना उचित समझा।"

19. मामले पर विचार करने के बाद और जिस तरीके से यह अदालत ग्रिंडीज बैंक लिमिटेड (ऊपर) में उत्पन्न होने वाले मुद्दे पहुंची है, हमारा विचार है कि एमनेस्टी योजना के खंड 8 (3) का वर्तमान मामले में कोई आवेदन नहीं होगा जहां प्रारंभिक कारण बताएँ नोटिस समय के भीतर जारी किया गया था उत्तरदाता-निर्धारिती द्वारा और इसकी वैधता का विरोध नहीं किया गया था। यदि इस तरह की वैधता पर जवाब के स्तर पर या यहां तक कि निर्णय की कार्यवाही के दौरान भी सवाल उठाया जाता, तो भी राजस्व के लिए इस त्रुटि को जो उत्पन्न हुई थी, ठीक करने के लिए जगह/समय होता। 11 फरवरी, 2015 को निर्णय का आदेश पारित होने के बाद भी एक संशोधित सूचना जारी की जा सकती थी। एक तरफ निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत कारण दिखाएँ नोटिस (27.01.2015) का उत्तर के बीच समय और निर्णय में कार्यवाही की निकटता और रिट याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक (4.3.2015) यह हमें यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति देगी कि रिट याचिकाओं में इस मुद्दे को उठाने में निर्धारिती का आचरण और पहले नहीं, पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं था। प्रत्यर्थी-निर्धारिती को, इसलिए, अपनी गलती का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता द्वारा, जो कि विस्तृत और व्यापक है, उच्च न्यायालय को स्थिति से उचित रूप से निपटने और इसकी नई कार्यवाही की शुरुआत की अनुमति देने वाले परिणामी निर्देश जारी करने में सक्षम बनाना चाहिए था यदि राजस्व इतना उन्नयनी था।

उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा करने में विफल होने पर, अब हम त्रुटि को ठीक करते हैं और राजस्व को एमनेस्टी योजना के तहत निर्धारिती को एक नया नोटिस जारी

करने के लिए सक्षम करने के लिए निर्देश जारी करते हैं यदि वह ऐसा चाहता है और ऐसा करने की सलाह दी जाती है।

20. पूर्वगामी के आलोक में, हम उपरोक्त निर्देशों के आलोक में इन अपीलों की अनुमति देते हैं और अपीलों में उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को रद्द करते हैं।

निधि जैन

अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता बृजेश कुमार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।